

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
प्रभावानसहाय वर्गारह  
उनवान सरकार बनाम ...राखलश्याम सरकार.....  
क्रि 88 RTA व 136 LR Act

5-4-22

मुकदमा नं० ..... 19/अ..... निर्णय दि०..... 5-4-22

प्रभावली कलस हेतु पेशा वाड के तथ्यों, जवाब स्टेट  
व कलस पर गौर किया गया।

वाड अनुसार ग्राम सभणला के खाता सं. 18/20  
संयुक्त खतेशरी की भूमि है।

वादीगण बैचनाना दि. 10.6.1969 में दर्ज हिस्सा  
अनुसार दुपल्ली दाखले हैं।

वाड अनुसार उपरोक्त खाता में सम्मत 2070 से 73  
में हिस्सा (सहखातेशरी का) दर्ज नहीं किया गया है।

वाड अनुसार सोमेश्वरान के समय दाण्या, रामचन्द्र,  
विरदया, धान्ना, मूल्या वि. परस्या व मूल्या पुत्र  
रेवड का सामान 76 हिस्सा के ब्याप गालत हिस्सा  
दर्ज कर दिया है।


वहसीलदार सिम्हाय की आदेशित किया जाता है कि  
इस ग्राम सभणला के खाता सं. 18/20 की भूमि के

सम्मत 2070-2073 के खाता सं. 2019 की आधार  
मानते हुये परस्या के पुत्रों दाण्या, रामचन्द्र, विरदया,  
धान्ना व मूल्या का पत्रोक्त कर हिस्सा 76 तथा मूल्या

पुत्र रेवड की 76 हिस्सा मानते हुये, सम्बन्धित के  
कोतगी पर वारिसों की रिकार्ड पर लेते हुये (यानि

हिस्सा शुद्धि के लक्ष्य विरासत नु नामान्तरण दर्ज करके  
हुये) इन्काय पडा की <sup>प्रभावली पर मी. पूर</sup> रजामदी अनुसार खाता सं.

18/20 में हिस्सा दुपल्ली दर्ज करी विरासत नं.  
बाबत प्रथक सं रजामदी की आवश्यकता नहीं है।

  
5-4-22